न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार RAS

राजस्व अपील संख्या –5 / 2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
01.मोहनी पुत्री स्व0 श्री मीराराम पत्नी श्री बिरमराम उम्र 62 वर्ष जाति विश्नोई निवासी शहीदी स्थल के पास खेजडली कला तहसील लूणी। 02.समदू पुत्री स्व0 श्री मीराराम पत्नी श्री हीराराम उम्र 58 वर्ष जाति विश्नोई निवासी विश्नोईयो की ढाणी खेजडली कला तहसील लूणी		01.मांगीलाल पुत्र स्व0 श्री मीराराम जाति विश्नोई 02.सुरजाराम पुत्र स्व0 श्री मीराराम जाति विश्नोई 03.रूकमादेवी पत्नी स्व0 श्री सुखराम जाति विश्नोई सभी निवासी खेजडली कला तहसील लूणी जिला जोधपुर 04.आसूडी पुत्री स्व0 श्री सुखराम पत्नी श्री बशीलाल जाति विश्नोई निवासी पीथावास तहसील जोधपुर 05.राजूराम पुत्र स्व श्री हीराराम जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जोधपुर। 06.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 124, ग्राम खेजडली कजा, तहसील– लुणी, जोधपुर द्वारा दिनांक 01.02.1972 को पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – लाधूराम पुनिया।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 की और से अधिवक्ता–भवरलाल चौधरी

:: आदेश ::

दिनांक : 03/01/2023

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 124 दिनांक 01.02.1972 ग्राम खेजडली कला तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खेजडजी कला पटवार हल्का खेजडली कला तहसील लुणी, में अपीलांट की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 190 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, अपीलांटस के कब्जा काश्त एवं स्वामित्व की आई हुई है। उक्त खसरा की कृषि भूमि ग्राम खेजडली कला की है,अपीलार्थीनीगण के पिता के स्व0 मीराराम का देहान्त वर्ष 1971 के करीब हुआ था। अपील के पद सख्या 1 मे वर्णित भूमि अपीलार्थीनी के पिता मीराराम जी खातेदारी की थी जिनके देहान्त क बाद अपीलार्थीनी उनके प्रथम वर्ग की उतराधिकारी होने से उपरोक्त भूमि अपीलार्थीनी मे निहित हो गया जिनको प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के साथ साथ सहखातेदारी के अधिकारी प्राप्त हो गये है प्रत्येक को इसमे 1/5 हिस्सा खातेदारी मे प्राप्त हुआ है ।

अपीलार्थीनी मीराराम जी के देहान्त के बाद उपरोक्त वर्णित अपने हिस्से की भूमि पर अपने भाईयो के साथ काबिज चली आ रही है अभी दिनांक 29.12.2021 को प्रत्यक्षी संख्या 1 से 3 विवादित भूमि खसरा नम्बर 190 को तीन भागो मे बांटा करके सेढामाठ डाल रहे थे

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner

तब अपीलार्थीनीगण भी मौके पर गयी एव प्रत्यर्थी सख्या 1 से 2 से उनके हिस्से का भी बटवाडा करके बंट अलग करने का आग्रह किया तसे प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपीलार्थीगण को उनका नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने का कारण बताते हुए भूमि का अपीलार्थीगण को बटवाडा देने से मना कर दिया तब अपीलार्थीनी पटवारी हल्का के पास गयी एव उनके पिता के देहांत के बाद भूमि के दर्ज विरासत के नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तब अपीलार्थीनीगण को पहली बार उनके पिता के देहान्त के बाद भूमि को उनके नाम दर्ज नही करने की जानकारी हुई इसके बाद अपीलार्थीनीगण ने अपीलाधीन भूमि विभाजन के नामान्तरकरण एव विभाजन आदेश की भी नकल दिनांक 30.12.2021 को प्राप्त की तथा बंटवाडा आदेश की नकल नही दी गयी जिस पर अपीलार्थीनीगण तहसील कार्यालय लुणी जाकर नकल क लिये आवेदन करवाकर नकल प्राप्त की तथा न्यायालय मे अपील दायर की गई। इसके साथ ही अपीलाण्ट ने म्याद अधिनियम के तहत धारा –5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण कानूनी प्रावधानो के विपरीत एव प्रार्थी को बिना सुने पारित किया गया है जो शुन्य श्रेणी का होने जिनको चैलेन्ज करने की कोई म्याद नही है ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत अपील मे विलम्ब को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर सुनवाई कर आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण की अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिली शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि इस अपील मे किसी प्रकार द्वारा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का खण्डन नही किया गया इसलिए न्यायहित मे अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के उचित प्रतीत होने पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि मुतक मीराराम का नामान्तरकरण सख्या 124 दिनांक 01.02.1972 को भरा गया नामान्तरकरण जो विधि विरूद्व है तथा अपीलार्थीगण मृतक मीराराम की प्रथम श्रेणी के उताराधिकारी वारिसान है उतराधिकारी वारिसान के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण गहन जॉच कर पक्षकारों को नोटिस देकर सुना जाने के बाद ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था, जो ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो विधि विरूद्व है एव ग्राम पचायत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण सख्या 124 को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि ग्राम खेजडली कला द्वारा दिनांक 01.02.1972 को नामान्तरकरण सख्या 124 भरा गया वो सही व विधि समत भरा गया तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लुणी

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तकारण सख्या 124 ग्राम खेजडली कला स्वीकृत दिनांक 01.02.1972 ग्राम खेजडली काल को निरस्त किया जाता है तथा पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है प्रकरण तहसीलदार लूणी को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि स्व0 मीराराम पुत्र लिछमण ग्राम खेजडली कला के विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(गोपाल परिहार) R.A.S.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्णय आज दिनांक 03/01/2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner